



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 2006/वैशाख 20, 1928

No. 464]

NEW DELHI WEDNESDAY, MAY 10, 2006/VAISAKHA 20, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2006

का.आ. 667(अ).—जीव-जन्तु कूरता अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क के उप-खण्ड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सं. का.आ. 24(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2005 द्वारा यथासंशोधित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 12 अगस्त, 2004 की संख्या का.आ. 918(अ), में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

- (i) अधिसूचना संख्या का.आ. 918(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2004 में क्रम संख्या (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

(3)	श्री यशवंत राज संयुक्त सचिव (ए एण्ड पी जी) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य धारा 5(1)(ख क)
-----	--	-------------------------

- (ii) उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

(20)	उप सचिव/निदेशक, प्रशासन, शिक्षा मंत्रालय	— सदस्य धारा 5(1)(ख क) के अधीन
(21)	निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	— सदस्य धारा 5(1)(ख ख) के अधीन
(22)	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. आर. एम. खरब, 23, मुनिरका विहार, नई दिल्ली-67	— सदस्य धारा 5(1)(ख ग) के अधीन
(23)	डॉ. मी. सलीम असलम, 162/4-ए, थिरुवेल्ल्यूर सलाय, थिरुवन्मयूर, चेन्नई-600041	— सदस्य धारा 5(1)(घ) के अधीन
(24)	डॉ. ओ. पी. सरीन 188-89, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, अंबाला कैट-133001 (हरियाणा)	— सदस्य धारा 5(1)(घ) के अधीन

- | | |
|--|----------------------------------|
| (25) श्री मंडल महाजन, पंजारपोल, गुजरात के प्रतिनिधि | — सदस्य
धारा 5 (1)(च) के अधीन |
| (26) फतेहपुर (राजस्थान) पिंजरापोल सोसाइटी, राजस्थान के प्रतिनिधि | — सदस्य
धारा 5 (1)(च) के अधीन |
| (27) जीव-जन्तु क्रूरता निवारण सोसाइटी, एस पी सी ए, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि | — सदस्य
धारा 5 (1)(छ) के अधीन |
| (28) जीव-जन्तु क्रूरता निवारण सोसाइटी, एस पी सी ए, मैसूर सी पी एच कॉम्प्लैक्स, धनंतरी रोड, मैसूर, कर्नाटक के प्रतिनिधि | — सदस्य
धारा 5 (1)(छ) के अधीन |

2. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसार एतद्वारा मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. आर. एम. खरब, सदस्य को जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और डॉ. वी. एन. अप्पाजी राव, सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत करती है।

[फा. सं. 11-26/2003-ए डब्ल्यू डी]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड के गठन संबंधी इससे पूर्व अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2004 भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 918(अ) और दिनांक 5 जनवरी, 2005 की संख्या का.आ. 24(अ) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2006

S.O. 667(E).—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following amendments in the notifications of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 918(E), dated 12th August, 2004 as amended vide Notification number S.O. 24(E), dated 5th January, 2005, namely :—

- (i) In the Notification No. S.O. 918(E), dated 12th August, 2004 for serial number (3) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

(3) Shri Yashwant Raj, Joint Secretary (A&PG) Ministry of Home Affairs, New Delhi	Member Under Section 5(1)(ba)
--	----------------------------------

- (ii) in the said notification, after serial 19 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

(20) Deputy Secretary/Director, Admn. Ministry of Education	— Member Under Section 5(1)(ba)
(21) Director, Wildlife Institute of India, Dehradun	— Member Under Section 5(1)(bb)
(22) Maj. General (Retd.) Dr. R.M. Kharb 23 Munirka Vihar, New Delhi-67	— Member Under Section 5(1)(bc)
(23) Dr. Md. Saleem Aslam, 162/4A, Thiruvalluvar Salai, Thiruvanniyur, Chennai-600041.	— Member Under Section 5(1)(d)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (24) Dr. O.P. Sareen, 188-89, Housing Board Colony, Ambala Cantt-133001 (Haryana). | — Member
Under Section 5(1)(d) |
| (25) A Representative of Shree Mandal Mahajan Panjarapole, Gujarat | — Member
Under Section 5(1)(f) |
| (26) A Representative of Fatehpur (Rajasthan) Pinjrapole, Society, Rajasthan | — Member
Under Section 5(1)(f) |
| (27) A Representative of Society for Prevention of Cruelty to Animals, SPCA, Kakinada, Andhra Pradesh | — Member
Under Section 5(1)(g) |
| (28) A Representative of Society for Prevention of Cruelty to Animals, SPCA, Mysore, C.P.H. Complex, Dhannantri Road, Mysore, Karnataka | — Member
Under Section 5(1)(g) |

2. The Central Government hereby nominates Maj. General (Retd.) Dr. R.M. Kharb, Member to be the Chairman and Dr. V.N. Appaji Roa, Member to be the Vice-Chairman of the Animal Welfare Board of India as per Sub-section (3) of Section 5 of the aforesaid Act.

[F. No. 11-26/2003-AWD]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note : The earlier notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 918(E), dated 12-8-2004 and S.O. 24(E), dated 5th January, 2005.